राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–पं०नि० 30–17/2024 1955
प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
कैमूर।

पटना, दिनांक– 26.4.2024

विषयः– प्रखंड कुदरा ग्राम पंचायत सकरी के उप मुखिया के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।
प्रसंगः– आपका पत्रांक 500 दिनांक 02.03.2024 एवं पत्रांक 736 दिनांक 13.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से आयोग को **प्रखंड कुदरा ग्राम पंचायत सकरी के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप उक्त रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों के **प्रखंड कुदरा ग्राम पंचायत सकरी के उप मुखिया के रिक्त पद पर दिनांक 14.05.2024 को निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है।**

3. कृपया उप मुखिया के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उप सरपंच के निर्वाचन हेतु दिनांक **06.05.2024** तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। **निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित उप मुखिया को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।**

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु **आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्त्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए।** प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक **03.05.2024** के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। **प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।** विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति **पुलिस अधीक्षक, कैमूर** को भी दी जा रही है।

5. उप मुखिया के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। विडीयोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि उप मुखिया के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।

7. अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
26/4/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक पं०नि० 30–17/2024– 1955 पटना, दिनांक – 26.4.2024

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना एवं पुलिस अधीक्षक, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/4/24
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

26.4.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com secbihar@gmail.com

1

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–17/2024 1956

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
कैमूर।

पटना, दिनांक– 26.4.2024

विषय :– चैनपुर के उप प्रमुख, प्रखंड रामगढ़ ग्राम कचहरी महुअर के उप सरपंच, प्रखंड रामगढ़ ग्राम पंचायत नोनार के उप मुखिया एवं प्रखंड रामगढ़ के नरहन जमुरना के उप मुखिया अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।

प्रसंग:– आयोग का पत्रांक 1693 दिनांक 01.04.2024, पत्रांक 1790 दिनांक 10.04.2024 तथा आपका पत्रांक 735 दिनांक 13.04.2024 एवं पत्रांक 736 दिनांक 13.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रेषित प्रतिवेदन/प्रस्ताव में कागजात/साक्ष्य संलग्न नहीं रहने के कारण वांछित कागजात/साक्ष्य प्रेषित करने हेतु निदेश दिया गया था।

उक्त पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी, कैमूर के प्रासंगिक पत्र द्वारा कागजात/साक्ष्य प्रेषित किये गये हैं, जिनके समीक्षोपरान्त अभी भी प्रतिवेदन में निम्न कागजात उपलब्ध नहीं है, जिनके आभाव में रिक्त पद पर निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने में कठिनाई हो रही है :–

1. **चैनपुर के उप प्रमुख** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रतिवेदन अविश्वास प्रस्ताव की सूचना निर्गत की तिथि नोटिस संलग्न नहीं एवं तामिला संलग्न नहीं है।
2. **रामगढ़ ग्राम कचहरी महुअर के उप सरपंच** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रतिवेदन में तामिला संलग्न नहीं है।
3. **रामगढ़ ग्राम पंचायत नोनार के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रतिवेदन में अध्यपेक्षा BPRO को संबोधित है जिसकी प्रतिलिपि BDO एवं पंचायत सचिव को अंकित है एवं प्रपत्र 03 में बैठक में उपस्थित सदरूों की संख्या–07 अंकित है जबकिं गुप्त मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संलग्न 09 अंकित है अतएब प्रपत्र 3 में सुधार की आवश्यकता है।
4. **रामगढ़ ग्राम पंचायत नरहन जमुरना के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रतिवेदन में सभी सदस्यों का तामिला प्रतिवेदन संलग्न नहीं है एवं अध्यपेक्षा की प्रति BPRO को संबोधित है जिसकी प्रतिलिपि BDO एवं पंचायत सचिव को अंकित है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उक्त वांछित कागजात पत्र प्राप्ति से दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय। ताकि संदर्भित रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु तिथि निर्धारित की जा सके।

विश्वासभाजन,
26/4/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

26.4.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com